बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार

हमारा बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक- 10 नि0 (कुक्कुट) 11/2014 45 (नि0) दिनांक - 8-1-/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन घोष, भा0प्र0से0

निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

जिला पशुपालन पदाधिकारी,

पटना/नालन्दा/गया/वैशाली/सारण एवं सिवान।

विषय :– **वर्ष 2014–15 में "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु "कार्यान्वयन अनुदेश"।**

महाशय,

विभागीय राज्यादेश संख्या–6एस0एस0 (6) 40/2014 –3273 दिनांक–21.10.2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत "लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान देकर लेयर मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 5000 (पाँच हजार) क्षमता के लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान दिया जाना है। तदनुसार संगत राज्यादेश की कंडिका–6 के आलोक में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश निर्गत किया जाता है:–

1– **उद्देश्य** :– इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में अंडा उत्पादन में वृद्धि करना तथा राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।

2– **योजना के मुख्य बिन्दु** :–

(i) निजी क्षेत्रों में अंडा उत्पादन करने हेतु न्यूनतम 5000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु इच्छुक किसानों/उद्यमियों/मुर्गीपालकों को लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना केज/बिछाली पद्धति से करने हेतु एवं फीड मिल स्थापित करने हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपये अनुदान दिया जायेगा।

(ii) एक इकाई में न्यूनतम 5000 (पाँच हजार) लेयर मुर्गियाँ रखी जायेंगी। 5000 (पाँच हजार) क्षमता के एक इकाई के लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना करने पर अधिकतम कुल रूपये 50.00 लाख (पचास

लाख) का व्यय आकलित है, जिसमें फीड मिल की स्थापना हेतु रूपये 20.00 लाख की राशि भी समाहित है। परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपये अनुदान दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि का व्यय लाभुक के स्तर से किया जायेगा। इस हेतु बैंक से ऋण भी लिया जा सकेगा। प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव (Project Report) की प्रति नमूना के रूप में संलग्न है। लाभुक द्वारा आवेदन के समय वास्तविक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) संलग्न करना होगा।

(iii) योजना का कार्यान्वयन राज्य के छः जिलों यथा–पटना, नालन्दा, गया, वैशाली, सारण एवं सिवान में किया जाना है।

(iv) जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं सहायक कुक्कुट पदाधिकारी के माध्यम से किया जाना है। जिस जिला में सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का पद नहीं है वहाँ इस कार्य हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा कुक्कुट संबंधी कार्य करने वाले पशु चिकित्सा पदाधिकारी को नामित किया जायेगा।

3– लाभुक का चयन–अहर्ता :–

(i) योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के पास विहित प्रपत्र में **आवेदन पत्र (प्रपत्र–1)** जमा करना होगा।

(ii) लाभुक द्वारा **आवेदन पत्र (प्रपत्र–1)** के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) एवं अन्य सभी आवश्यक कागजात/साक्ष्य संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(iii) जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजी में संधारित किया जायेगा, जिसमें विहित प्रपत्र में आवेदक का आवेदन पत्र प्राप्त करने का क्रम संख्या/तिथि/समय अंकित रहेगा तथा उस रजिस्टर में आवेदक का हस्ताक्षर प्राप्त कर आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद **(प्रपत्र–2)** आवेदक को दी जायेगी। प्राप्ति रसीद में भी क्रम संख्या/तिथि/समय निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।

(iv) लाभुक को आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। 5000 क्षमता लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु कम से कम 0.50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। भूमि अपनी हो अथवा लीज पर ली गई हो और आवेदन स्वीकृति के समय कम से कम दस वर्षो के लिए भूमि लीज की अवधि शेष हो। सीलींग जमीन पर इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ लेयर फार्म स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध होने का ब्यौरा– भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र (Land

Possession Certificate), जमीन का विवरण एवं अद्यतन लगान रसीद, यदि लीज हो तो निबंधित लीज एकरारनामा की प्रति जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित लेयर फार्म का एक नजरी नक्शा भी जमा करना होगा।

(v) लाभुक के चयन में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण प्राप्त तथा अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु आवेदक को कुक्कुटपालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कुक्कुटपालन से संबंधित अन्य कोई प्रमाण पत्र एवं अनुभव संबंधी साक्ष्य जमा करना होगा।

(vi) लेयर फार्म स्थापित करने हेतु लाभुक के स्तर से व्यय की जाने वाली राशि (परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, न्यूनतम रूपये 25.00 लाख) की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य (यथा–अद्यतन बैंक पास बुक/बैंक सावधि जमा रसीद की छाया प्रति–संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित/राशि उपलब्धता का अन्य साक्ष्य) जमा करना अनिवार्य होगा। स्वलागत से लेयर फार्म स्थापित करने वाले लाभुक को प्राथमिकता दी जायेगी।

(vii) बैंक ऋण लेकर लेयर फार्म खोलने वाले लाभुक को भी इस योजना अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा बशर्ते वे लेयर फार्म खोलने की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हों एवं संगत योजना का राज्यादेश निर्गत होने की तिथि (21.10.2014) के उपरान्त उनका बैंक ऋण आवेदन स्वीकृत किया गया हो। इस हेतु लाभुक को बैंक ऋण स्वीकृति से संबंधित वांछित साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।

(viii) पूर्व से स्थापित लेयर फार्म संचालक, जो इस योजना के तहत नया लेयर यूनिट का विस्तार करना चाहते है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जायेगी, बशर्ते की उनके पास स्वलागत हेतु 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध हो या संगत योजना का राज्यादेश निर्गत होने की तिथि (21.10.2014) के उपरान्त बैंक द्वारा न्यूनतम 5000 लेयर फार्म की क्षमता हेतु ऋण स्वीकृत किया गया हो।

(ix) लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने हेतु विभागीय स्तर से समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन (सू0ज0स0वि0 9643 (पशु)/14–15 बिहार दिनांक–16.12.2014 एवं 17.12.2014) के आलोक में कई आवेदको द्वारा संबंधित जिला पशुपालन कार्यालयों में आवेदन पत्र जमा करने की सूचना दी गई है। उक्त के आलोक में वैसे सभी आवेदको से पुनः विहित प्रपत्र **(प्रपत्र–1)** में आवेदन पत्र (सभी वांछित अनुलग्नको सहित) प्राप्त कर पूर्व में जमा किये गये आवेदन पत्र के साथ पूरक आवेदन पत्र के रूप में संलग्न किया जायेगा। संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–2 में आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद पुनः उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें आवेदन जमा करने का क्रम संख्या/तिथि/समय पूर्व में जमा किये गये आवेदन पत्र के विरूद्ध दी गई प्राप्ति रसीद में अंकित क्रम संख्या/तिथि/समय को ही अंकित किया जायेगा।

सभी संबंधित जिला के सहायक कुक्कुट पदाधिकारी इसके लिए विशेष रूप से जिम्मेवार होंगे एवं सभी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।

(x) सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–21400/2013 एवं आई0ए0 नं0–7930/2013 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–21.07.2013 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादीगण (1) श्री सत्येन्द्र कुमार, पिता–श्री राम राज शर्मा, ग्राम–खजुरी, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना (2) श्री शैलेन्द्र कुमार, पिता– श्री राम राज शर्मा, ग्राम–खजुरी, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना एवं (3) श्री दिनेश शर्मा, पिता–श्री दयानन्द शर्मा, ग्राम–खजुरी, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना को इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने में प्राथमिकता दी जायेगी।

4– लाभुक की चयन प्रक्रिया :–

(i) लाभुकों का प्रारंभिक चयन (Screening) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर किया जायेगा। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कागजातों की जाँच हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा अपनी अध्यक्षता में एक पाँच–सदस्यीय **स्क्रीनिंग समिति** का गठन किया जायेगा, जो निम्नवत् होगी :–

(क) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ख) सहायक कुक्कुट पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव
(ग) पशु शल्य चिकित्सक/अवर प्रमंडल पशुपालन	–	
पदाधिकारी	–	सदस्य
(घ) भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त)	–	सदस्य
(ङ) जिला के एक वरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी	–	सदस्य

जहाँ उक्त में से कोई पद नहीं है तो उसके जगह वहाँ संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा जिला अन्तर्गत पदस्थापित किन्हीं अन्य पशु चिकित्सा पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।

सभी प्राप्त आवेदन पत्रों (संलग्न कागजातों सहित) की जाँच जिला स्तर पर गठित उक्त स्क्रीनिंग समिति द्वारा एक निर्धारित तिथि को किया जायेगा जिसकी सूचना आवेदकों को दूरभाष तथा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक (पावती सहित) के माध्यम से दी जायेगी, साथ ही कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त निर्धारित तिथि को आवेदक की उपस्थिति में स्क्रीनिंग समिति द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र (संलग्न कागजातों सहित) की जाँच की जायेगी तथा आवेदक का साक्षात्कार भी लिया जायेगा। उक्त निर्धारित तिथि को आवेदक को स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित रहना अनिवार्य होगा तथा **आवेदक की अनुपस्थिति की स्थिति में उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा**। इसके उपरान्त स्क्रीनिंग

समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा। आवेदक द्वारा दी गई विवरणी सही पाये जाने पर जिला के पाँच–सदस्यीय समिति के द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन का जाँच पत्र **(प्रपत्र–3)**, **चेक–लिस्ट** एवं एक तुलनात्मक विवरणी भरकर **(प्रपत्र–7)** अंतिम चयन हेतु संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को अग्रसारित करेंगे।

(ii) चयन में लाभुकों की प्राथमिकता का क्रम निम्न प्रकार से होगा :–

(क) लेयर प्रोजेक्ट साईज एवं भूमि की उपलब्धता :– 5,000 (पाँच हजार) क्षमता से बड़े यूनिट का लेयर फार्म लगाने वाले यूनिटों को प्राथमिकता दी जायेगी बशर्ते बड़े प्रोजेक्ट के अनुरूप लाभुक के पास भूमि की उपलब्धता हो। प्रोजेक्ट राशि 50,000,00 (पचास लाख) से अधिक होने पर भी अनुदान की राशि अधिकतम 25,000,00 (पच्चीस लाख) ही देय होगी। शेष राशि लाभुक द्वारा स्वयं लागत से या बैंक ऋण लेकर लगाया जा सकता है। किन्तु लाभुक के पास राशि उपलब्धता का साक्ष्य या संगत योजना का राज्यादेश निर्गत होने की तिथि (21.10.2014) के उपरान्त बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने का साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध करना आवश्यक होगा।

(ख) मुर्गी पालन करने का अनुभव :– यदि आवेदक द्वारा पूर्व से मुर्गी फार्म/हैचरी चलाया जा रहा हो और इस योजना के तहत नये लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना अथवा पूर्व से संचालित लेयर मुर्गी फार्म यूनिट का विस्तार करना चाहता हो तो उन्हें भी प्राथमिकता दी जायेगी। विशेष रूप से बड़ी यूनिटों के लिए आवेदनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ग) लेयर फार्म स्थापित करने हेतु आवेदन जमा करने की तिथि को प्राथमिकता दी जायेगी। पहले आवदेन देने वाले को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।

(घ) लेयर फार्म स्थापित करने हेतु आवेदन जमा करने के समय को भी प्राथमिकता दी जायेगी। पहले आवदेन देने वाले को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।

(iii) लेयर मुर्गी फार्म यूनिट की स्थापना हेतु अनुदान की स्वीकृति के लिये क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तर पर **पाँच–सदस्यीय चयन समिति** (प्रत्येक जिला के लिए अलग–अलग) का गठन किया जायेगा, जो निम्नवत् होगी :–

(क) क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन – अध्यक्ष

(ख) संबंधित जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी – सदस्य

(ग) क्षेत्रीय निदेशक, कार्यालय के सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/
सहायक निदेशक (कुक्कुट)/संबंधित क्षेत्र में अवस्थित कुक्कुट प्रक्षेत्र
के प्रभारी पदाधिकारी/क्षेत्रीय निदेशक द्वारा नामित पदा0 – सदस्य सचिव

(घ) क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय के भ्रमणशील पशु चिकित्सा

पदाधिकारी (चलन्त) – सदस्य

(ङ) निदेशक, पशुपालन द्वारा नामित पदाधिकारी – सदस्य

उक्त **चयन समिति** द्वारा लेयर मुर्गी फार्म यूनिट की स्थापना हेतु अनुदान की स्वीकृति के लिये अंतिम रूप से लाभुको का चयन किया जायेगा। **चयन समिति** द्वारा उपरोक्त कंडिका–4 (ii) में अंकित प्राथमिकता क्रम के आधार पर लाभुक का अंतिम चयन किया जायेगा। जिला से प्रस्ताव प्राप्त होने के दो सप्ताह के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक स्तर पर चयन समिति की बैठक आयोजित की जायेगी एवं इसकी तिथि की सूचना संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं निदेशक, पशुपालन को बैठक की तिथि के एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी।

(iv) जिला–वार सभी वैध आवेदक की सूची तैयार की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2014–15 में संगत योजना अन्तर्गत जिला–वार उपलब्ध राशि एवं लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का चयन किया जायेगा।

(v) लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में सभी प्राप्त वैध आवेदनों के आधार पर जिला–वार प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। जिन्हें इस योजना के लागू रहने एवं राशि उपलब्ध रहने पर क्रमबद्ध रूप से लाभान्वित किया जा सकेगा।

(vi) क्षेत्रीय निदेशक स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा जिला के लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों के अंतिम चयन के उपरांत क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के स्तर से लाभुकों के चयन संबंधी स्वीकृति पत्र विहित प्रपत्र **(प्रपत्र–4)** में तीन दिनों के अन्दर निर्गत किया जायेगा एवं इसकी प्रति संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं निदेशक, पशुपालन को भी दी जायेगी।

(vii) स्वीकृति पत्र निर्गत होने के **10 दिनों** के अन्दर चयनित लाभुकों को विभाग (जिला पशुपालन पदाधिकारी) के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। लाभुक के द्वारा एकरारनामा संपादित किये जाने के **30 दिन** बाद संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुक का स्थल निरीक्षण कर संबंधित क्षेत्रीय निदेशक एवं निदेशक, पशुपालन को प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा कि लाभुक द्वारा लेयर फार्म यूनिट की स्थापना के लिये कार्य प्रारम्भ किया गया है अथवा नहीं।

(viii) नया लेयर फार्म यूनिट एवं नया फीड मिल यूनिट के स्थापना पर ही इस योजना के तहत अनुदान राशि का लाभ दिया जायेगा। पुराना स्थापित लेयर फार्म यूनिट एवं पुराने फीड मिल यूनिट पर इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(ix) लाभुक को अनुदान प्राप्त करने हेतु लेयर फार्म के निर्माण कार्य (Civil Work) पूरा होने एवं लेयर चूजा फार्म में आ जाने के बाद चूजा एवं लाभुक के साथ पूर्ण तैयार लेयर फार्म का फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– अनुदान की राशि का भुगतान –

(i) लाभुक के द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र **(प्रपत्र–5)** में संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय में करना होगा, जिसकी प्राप्ति रसीद आवेदक को संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा दिया जायेगा। जिला पशुपालन कार्यालय में इस हेतु उक्त आवेदन पत्रों को एक पंजी में संधारित किया जायेगा।

(ii) लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन दिये जाने के एक सप्ताह के अंदर जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के समय चयनित लाभुक का स्थल पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्थल निरीक्षण जाँच प्रतिवेदन **(प्रपत्र–6)** (लेयर फार्म का फोटोग्राफ सहित) क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को अनुदान दावा आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर समर्पित किया जायेगा, जिसकी एक प्रति निदेशक, पशुपालन को भी दी जायेगी। निरीक्षण जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरांत अनुदान की राशि (प्रथम/द्वितीय किस्त) का भुगतान जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा एकाउण्ट पेयी चेक/बैंक डाफ्ट के माध्यम से लाभुक के नाम से एकाउण्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

(iii) लाभुक को अनुदान का भुगतान संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा दो किस्तों में किया जायेगा। अनुदान की राशि (रूपये 25.00 लाख) का प्रथम किस्त 60 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 15.00 लाख का भुगतान लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कार्य (Civil Work) पूरा होने एवं लेयर चिक्स (न्यूनतम 5000) का लॉट रखने के साक्ष्य एवं लेयर मुर्गी के साथ लाभुक का फोटो एवं फार्म का फोटो प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा। अनुदान की राशि (रूपये 25.00 लाख) का द्वितीय किस्त 40 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 10.00 लाख का भुगतान फीड मिल गोदाम, फीड मिल उपकरण, जेनरेटर इत्यादि के संस्थापन का साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा। अनुदान हेतु फीड मिल उपकरण, जेनरेटर इत्यादि का क्रय संगत योजना का राज्यादेश निर्गत होने की तिथि (21.10.2014) के उपरान्त किया जाना अनिवार्य होगा। अनुदान का भुगतान लाभुक के नाम से एकाउन्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा जिसका विधिवत् रूप से प्राप्ति का साक्ष्य जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में संधारित किया जायेगा एवं इसकी छाया प्रति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक एवं निदेशक, पशुपालन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) एकरारनामा संपादित करने की तिथि से **30 दिनों के अंदर** कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में स्वीकृति पत्र को निरस्त करने का अधिकार निदेशक, पशुपालन को होगा एवं इसके लिए लाभुक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(v) इस परियोजना अंतर्गत अनुदान का लाभ दोनों परिस्थितियों में चयनित लाभुकों को देय होगा यदि लाभुक द्वारा राशि अपने स्तर से स्वयं लगाया गया हो अथवा बैंक से ऋण प्राप्त कर लगाया गया हो।

(vi) किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

6– लक्ष्य :–

(क) इस योजना अंतर्गत स्वीकृत लेयर मुर्गी फार्म यूनिट एवं राशि के अनुरूप जिला–वार लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

क्र0सं0	जिला का नाम	लक्ष्य (लेयर मुर्गी फार्म यूनिट)	अनुदान की राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	पटना	4 (चार)	100.00 लाख
2	नालन्दा	3 (तीन)	75.00 लाख
3	गया	3 (तीन)	75.00 लाख
4	वैशाली	3 (तीन)	75.00 लाख
5	सारण	3 (तीन)	75.00 लाख
6	सिवान	3 (तीन)	75.00 लाख
कुल		**19 (उनीस)**	**475.00 लाख**

(ख) लक्ष्य के अनुरूप किसी जिला में योग्य आवेदक का चयन न हो पाने की स्थिति में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्त तालिका में अंकित लक्ष्य में आवश्यक परिवर्तन करने की कार्रवाई निदेशक, पशुपालन द्वारा की जायेगी।

(ग) उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–4 में अंकित अनुदान की राशि संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से **परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना** द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी ।

7– योजना का अनुश्रवण :–

(i) योजना का अनुश्रवण जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से सहायक कुक्कुट पदाधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा। संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सकों द्वारा नियमित रूप से लेयर मुर्गी फार्म में चूजा/मुर्गियों की स्वास्थ्य जाँच की जायेगी।

(ii) लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना में Bio-Security measures का अनुपालन करना लाभुक का दायित्व होगा तथा इसे सुनिश्चित कराना संबंधित सहायक कुक्कुट पदाधिकारी एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

(iii) योजना अन्तर्गत चयनित लाभुकों द्वारा प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसे संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा समीक्षोपरान्त क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन एवं निदेशक, पशुपालन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा विभागीय स्तर पर की जायेगी।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक– 10 नि0 (कुक्कुट) 11/2014 ......45(नि0)....../पटना–15, दिनांक– ......8–1–..../2015

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, गया/पटना/सारण/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

प्रपत्र–1

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

आवेदन पत्र

(संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा)

---

1. आवेदक का नाम :– .....

2. पिता का नाम :– .....

3. जन्म तिथि :– .....

4. उम्र :–.....(पूर्ण वर्षों में)

5. शैक्षणिक योग्यता :– .....

6. पेशा :– .....

7. कोटि (सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु0 जाति/अनु0 जनजाति) :– .....*प्रमाण पत्र संलग्न करें)*

8. स्थायी पता :–

ग्राम – ..... पो0– .....

थाना – ..... प्रखंड –.....

पिन कोड – ..... जिला –.....

8. दूरभाष/मोबाईल नं0–: .....

9. कुक्कुटपालन में प्राप्त प्रशिक्षण/कुक्कुट पालन से संबंधित कोई अन्य प्रमाण–पत्र/अनुभव की विवरणी :– .....

.....

.....

10. वर्त्तमान में ब्रायलर/लेयर/पैरेन्ट/अन्य का पालन कर रहे है? (हाँ/नहीं) .....

11. यदि हाँ तो ब्रायलर/लेयर/पैरेन्ट मुर्गीपालन करने का विवरण :– .....

..... (साक्ष्य–फोटोग्राफ सहित संलग्न करना अनिवार्य है)

10. भूमि का ब्यौरा (जिसका उपयोग लेयर फार्मिंग के लिए किया जाना है)

(क) खाता :– ..... (ख) खेसरा :– .....

(ग) रकबा (एकड़ में) :– ..... (घ) जिला मुख्यालय से दूरी :– .....

(ड॰) मौजा :– ..... (च) ग्राम :– .....

(छ) परगना :– ..... (ज) थाना :– .....

(झ) थाना नं0 :– ..... (ञ) प्रखंड/अंचल :– .....

(ट) जिला :– ..... **भूमि के नक्शा की छाया प्रति संलग्न करें (यदि उपलब्ध हो तो)**

(ठ) भूमि आवेदक के नाम से है या लीज (पट्टा) पर ली गई है :– .....

(भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/निबंधित लीज एकरारनामा की छाया प्रति संलग्न करे)

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ।

11. लेयर मुर्गी फार्म हेतु प्रस्तावित प्रोजेक्ट का विवरण

(क) प्रस्तावित प्रोजेक्ट की राशि :— .....

(प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें)

(ख) अनुदान की राशि :— .....

(ग) अनुदान के अतिरिक्त राशि की व्यवस्था (स्वलागत अथवा बैंक ऋण से) .....

(घ) यदि स्वलागत से हो तो राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य :— .....

(ड॰) यदि बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं/ऋण स्वीकृत हो चुका है तो बैंक का नाम, पता एवं ऋण स्वीकृति का साक्ष्यः— .....

.....

(च) आवेदन नये यूनिट की स्थापना या पुराने यूनिट के विस्तार के लिए दिया गया है :— .....

(छ) विशेष यदि कोई हो (निबंधन संख्या इत्यादि) :— .....

12. अनुदान प्राप्ति हेतु बैंक खाता एवं अन्य का विवरण :—

(क) बैंक का नाम :— .....

(ख) शाखा :— .....

(ग) खाता संख्या :— .....

(घ) आई0एफ0एस0सी0 कोड :— .....

(ड॰) पैन कार्ड संख्या :— .....

13. अनुलग्नक :—

(क) आवेदक का फोटोग्राफ (दो प्रतियों में) — .....

(ख) पहचान पत्र की छाया प्रति —.....

(ग) आवास का प्रमाण पत्र — .....

(घ) जाति प्रमाण पत्र —.....

(ड0) आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) की छाया प्रति —.....

(च) बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति — .....

(छ) पैन कार्ड की छाया प्रति — .....

(ज) भूमि स्वामित्व प्रमाण—पत्र/निबंधित लीज एकरारनामा की छाया प्रति/अद्यतन लगान रसीद — .....

(झ) लेयर फार्म स्थापित करने हेतु कुल भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य— .....

(ञ) स्वलागत से लेयर फार्म स्थापना के लिये राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य — .....

(ट) बैंक द्वारा लेयर फार्मिंग के लिये वर्ष 2014—15 में ऋण स्वीकृति का साक्ष्य — .....

(ठ) पोल्ट्री फार्मिंग का अनुभव/प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य — .....

(ड) .....

(ढ) .....

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचनाएँ सही हैं तथा योजना के लिए निर्धारित शर्तों का मेरे द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।

तिथि ..... **आवेदक का हस्ताक्षर**

प्रपत्र–2

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु प्राप्त

आवेदन पत्र का प्राप्ति रसीद

(कार्यालय प्रति)

प्राप्ति रसीद संख्या :– ..... **दिनांक– ...../2014**

आवेदक श्री ..... पिता/पति का नाम :– .....

ग्राम : ..... पोस्ट : .....थाना : .....

प्रखंड : ..... जिला : ..... पिन कोड : .....द्वारा *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सभी वांछित अनुलग्नकों सहित आज दिनांक– ..... को ..... बजे पूर्वा0/अप0 में प्राप्त किया।

प्राप्तकर्त्ता पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर,
नाम, पदनाम, एवं कार्यालय का मुहर।

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु प्राप्त

आवेदन पत्र का प्राप्ति रसीद

(आवेदक की प्रति)

प्राप्ति रसीद संख्या :– ..... **दिनांक– ...../2014**

आवेदक श्री ..... पिता/पति का नाम :– .....

ग्राम : ..... पोस्ट : .....थाना : .....

प्रखंड : ..... जिला : ..... पिन कोड : .....द्वारा *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सभी वांछित अनुलग्नकों सहित आज दिनांक– ..... को ..... बजे पूर्वा0/अप0 में प्राप्त किया।

प्राप्तकर्त्ता पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर,
नाम, पदनाम, एवं कार्यालय का मुहर।

प्रपत्र–3

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु प्राप्त

आवेदन का जाँच पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री .....

पिता/पति का नाम :– .....ग्राम : ..... पोस्ट : .....

थाना : ..... प्रखंड : ..... जिला : .....

पिन कोड : .....द्वारा दिया गया विवरण सही है। आवेदक द्वारा दिया गया विवरण मेरे भौतिक जाँच/सत्यापन में सही पाया गया है। आवेदक द्वारा पूर्व में मुर्गीपालन का कार्य किया गया है (या किया जायेगा)। आवेदक को योजनान्तर्गत चयनित किया जा सकता है अथवा आवेदक चयन योग्य नहीं है। *(जो लागू नहीं हो उसे काट दें)*

यदि आवेदक को चयनित नहीं किया गया हो तो उसका कारण :– .....

.....

.....

सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। **(सदस्य सचिव)**	भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त) का हस्ताक्षर। **(सदस्य)**	अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक का हस्ताक्षर। **(सदस्य)**

जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा चयनित जिला में पदस्थापित एक वरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर। **(सदस्य)**	जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। **(अध्यक्ष)**

प्रपत्र–4

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म यूनिट की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्रदान करने हेतु

स्वीकृति पत्र

ज्ञापांक :– ..... दिनांक :– .....

1– आवेदक श्री .....

पिता/पति का नाम :– .....ग्राम : .....

पोस्ट : .....थाना : ..... प्रखंड : .....

जिला : .....पिन कोड : ..... द्वारा समर्पित किये गये लेयर मुर्गी फार्म यूनिट की स्थापना या नया लेयर मुर्गी फार्म यूनिट के विस्तार संबंधी आवेदन पत्र सम्यक् जांचोपरांत सही पाया गया है। इस योजना के तहत अनुदान दिये जाने हेतु आपको चयनित किया जाता है।

2– आवेदक निम्नलिखित निर्माण इकाई/मशीनरी के लिये अनुदान की पात्रता रखते हैं :–

(क) स्वीकृत निर्माण इकाई का माप –

क्र0	शेड सं0	शेड का प्रकार	शेड का क्षेत्रफल (वर्गफीट)	अभ्युक्ति

(ख) स्वीकृत फीड मिल मशीन एवं उपकरण –

क्र0	मशीन का प्रकार	अभ्युक्ति

(स्वीकृत राशि अधिकतम अनुदान 25.00 लाख रूपये)

3– लाभुक लेयर मुर्गी फार्म (अण्डा देने वाली) यूनिट की स्थापना या नया लेयर मुर्गी फार्म यूनिट का विस्तार कर सकते हैं।

4– लेयर फार्म निर्माण कार्य, चूजा क्रय कर फार्म में रखने के उपरांत अनुदान की प्रथम किस्त के भुगतान हेतु लाभुक द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को आवेदन समर्पित किया जायेगा। अनुदान दावा के प्रथम किस्त 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 15.00 लाख के भुगतान के लिए निर्माण की गई लेयर फार्म इकाई, क्रय किये गये चूजा फार्म में आ जाने का साक्ष्य के रूप में लाभुक के साथ का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5— फीड गोदाम, फीड मशीन एवं उपकरण, जेनरेटर क्रय एवं संस्थापन के उपरांत द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु लाभुक द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को आवेदन समर्पित किया जायेगा। अनुदान दावा के दूसरा किस्त 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10.00 लाख का भुगतान फीड गोदाम, फीड मील मशीन एवं उपकरण, जेनरेटर इत्यादि निर्माण/संस्थापित होने का साक्ष्य के रूप में लाभुक के साथ का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6— अनुदान का भुगतान लाभुक को एकाउन्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।

7— इस योजना अंतर्गत अनुदान का लाभ दोनों परिस्थतियों में लाभुक को देय होगा यदि लाभुक द्वारा राशि अपने स्तर से स्वयं लगाया गया हो अथवा बैंक से ऋण प्राप्त कर लगाया गया हो।

8— लाभुक के द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र **(प्रपत्र—5)** में संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय में करना होगा, जिसकी प्राप्ति रसीद आवेदक को संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा दिया जायेगा। जिला पशुपालन कार्यालय में इस हेतु उक्त आवेदन पत्रों को एक पंजी में संधारित किया जायेगा।

9— लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन दिये जाने के एक सप्ताह के अंदर जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित पाँच—सदस्यीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के समय चयनित लाभुक का स्थल पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। पाँच—सदस्यीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण जाँच प्रतिवेदन **(प्रपत्र—6)** (लेयर फार्म का फोटोग्राफ सहित) की प्रति निदेशक, पशुपालन को 3 दिनों के अन्दर समर्पित किया जायेगा। निरीक्षण जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरांत अनुदान की राशि का भुगतान जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा एकाउण्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लाभुक के बैंक खाता में किया जायेगा एवं भुगतान के साक्ष्य के साथ संबंधित क्षेत्रीय निदेशक तथा निदेशक, पशुपालन की इसकी सूचना दी जायेगी।

10— एकरारनामा संपादित करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर स्वीकृति पत्र को निरस्त करने का अधिकार निदेशक, पशुपालन को होगा एवं इसके लिए लाभुक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

11— किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन।

प्रपत्र–5

वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, ...के स्वीकृति पत्र संख्या .....
दिनांक ..... के आलोक में आवेदक श्री .....
पिता/पति का नाम :– .....ग्राम : .....
पोस्ट : .....थाना : ..... प्रखंड : .....
जिला : .....पिन कोड : ..... द्वारा अनुदान का प्रथम/द्वितीय किस्त के लिए दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। *(जो लागू न हो उसे काट दें।)*

क्र0 सं0	**मद**	**अनुदान राशि जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया गया है।**
1.	कुल लागत	
2.	कुल अनुदान की राशि	
3.	अनुदान की राशि का 60 प्रतिशत (प्रथम किस्त)	
4.	अनुदान की का राशि 40 प्रतिशत (द्वितीय किस्त)	

1– लेयर मुर्गी फार्म संरचना का निर्माण कार्य (Civil work) पूरा कर लिया गया है एवं चिक्स लॉट का क्रय कर फार्म इकाई में रख ली गयी है। प्रमाण स्वरूप लेयर मुर्गी फार्म संरचना का फोटोग्राफ तथा लेयर चिक्स क्रय का अभिश्रव (कैशमेमो) संलग्न किया जा रहा है तथा अनुदान की राशि का प्रथम किस्त 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 15 .00 लाख रूपये का भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

2– फीड यूनिट गोदाम की संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फीड मशीन एवं उपकरण, जेनरेटर का क्रय संबंधित अभिश्रव (कैशमेमो) संलग्न कर अनुदान की राशि का द्वितीय किस्त अधिकतम रूपये 10.00 लाख का भुगतान भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

मुझे अनुदान दावा का प्रथम किस्त 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 15.00 लाख/दूसरा किस्त 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10.00 लाख रूपये का भुगतान किया जाय। (जो लागू न हो उसे काट दें)

तिथि ..... **आवेदक का हस्ताक्षर**

(अनुदान दावा आवेदन पत्र में लाभुक अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

प्रपत्र–6

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

अनुदान (प्रथम/द्वितीय किस्त) प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र का जाँच पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लाभुक श्री ..... द्वारा दिनांक–.....को अनुदान की राशि का प्रथम किस्त रूपये 15.00 लाख/द्वितीय किस्त रूपये 10.00 लाख का भुगतान प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन पत्र के संबंध में लाभुक के द्वारा स्थापित लेयर मुर्गी फार्म यूनिट स्थल पर जाकर जाँच की गई।

1– लाभुक द्वारा लेयर मुर्गी फार्म संरचना का निर्माण कार्य (Civil work) पूरा कर लिया गया है एवं चिक्स लॉट का क्रय कर फार्म इकाई में रख ली गयी है।

2– फीड यूनिट गोदाम की संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फीड मशीन एवं उपकरण, जेनरेटर का निर्माण/संस्थापन कर लिया गया है।

लाभुक श्री ..... को अनुदान की राशि का प्रथम किस्त रूपये 15.00 लाख/द्वितीय किस्त रूपये 10.00 लाख का भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है। *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। **(सदस्य सचिव)**	भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त) का हस्ताक्षर। **(सदस्य)**	अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक का हस्ताक्षर। **(सदस्य)**

जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा चयनित जिला में पदस्थापित एक वरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर। **(सदस्य)**	जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। **(अध्यक्ष)**

प्रपत्र–7

वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु जिला में प्राप्त आवेदनों की तुलनात्मक विवरणी।

जिला का नाम .....

क्रं0	आवेदन देने की तिथि एवं समय	आवेदक का नाम	आवेदक का मोबाईल नं0	प्रस्तावित लेयर की संख्या	कुल प्रोजेक्ट की राशि	अनुदान की राशि	लेयर पालन हेतु जमीन की उपलब्धता	प्रशिक्षण	अनुभव	स्वलागत हेतु राशि की उपलब्धता का साक्ष्य	बैंक ऋण स्वीकृत होने के साक्ष्य	बैंक का नाम एवं खाता सं0	अभ्युक्ति वैध/अवैध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर।
(सदस्य सचिव)

भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त) का हस्ताक्षर।
(सदस्य)

अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक का हस्ताक्षर।
(सदस्य)

जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा चयनित जिला में पदस्थापित एक वरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
(सदस्य)

जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर।
(अध्यक्ष)

Check list

Sl. No.	Requirements	Yes/No/Remarks
1	Address Proof/ Identity Proof/Signature Proof of the applicant :- *Residential Certificate/Nationalized Bank Account Passbook/ Voter Id/Passport/ UID-Aadhar Card/PAN Card/LIC Policy/ Electricity Bill/ Land Line Telephone Bill etc.*	
2	Whether the applicant has experience/trainging in poultry farming? (Mention year of experience)	
3	Whether the applicant has own land or lease land?	
4	Area of land (in acre) available for Layer farming (with proof/land possession certificate)	
5	Whether the land ownership/lease papers are in order?	
6	Whether poultry farming has been successful in the past in the area?	
7	Ensure whether the site is free from flood and inflow of polluted water?	
8	Whether the assured source of adequate fresh water supply and drainage facility?	
9	Whether electricity is available near the proposed layer farm?	
10	Ensure whether the arrangements for supply of chicks, feed, Medicine, marketing storage, transport etc?	
11	Whether the equipments like. Feeder, Drinker, Brooder, Fans Exaust Fan, Water testing kit, Weighing machine etc are available at the reasonable rate in local area?	
12	Ensure whether applicant has provided quotations in respect of all investments including civil work, electrification, equipments and apparatus, feed, etc?	
13	Whether sufficient number of labour is available?	
14	Whether sufficient collateral security is available?	
15	Whether the margin money is offered by the applicant?	
16	Whether the applicant is defaulter in any other bank?	
17	Whether self finance or finance by bank?	
18	In case of finance by bank, whether project has been sanctioned by bank or not.	
19	In case of self finance amount which may be invested by applicant in the Layer farm (with proof).	
20	Whether adequate proof of fund avalibility with applicant in case of self finance, if available (with proof).	
21	Whether project is for new project or extension of existing project?	
22	Date and time of receiving of application in DAHO office.	
23	Sl. no. of Layer farm application received in DAHO office.	

Sign. of the DAHO,

.....